न्यायालय : वाणिज्यिक न्यायालय, संख्या - 01, जोधपुर महानगर

पीठासीन अधिकारी : सोहन शर्मा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
इजराय प्रकरण संख्या- 713/2022 (NCV No.- 714/2022)

प्रार्थी /डिक्रीदार :-
एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, चौथी मंजिल, टाईम्स स्कवायर्स, 10 सेन्टर स्पाइन विद्याधर नगर, जयपुर।

--बनाम--

अप्रार्थीगण/मदयूनगण :-
1. आनन्द शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा,
2. विमला देवी,
   निवासीगण-ए 23, सेकण्ड एक्सटेंशन, डिफेंस कॉलोनी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर-342001

आदेश अंतर्गत धारा 12 (5) एवं (7) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम सपठित धारा 151 सि.प्र.सं.

उपस्थिति :-
1. श्री आर.एस. चूण्डावत, विद्वान अधिवक्ता - वास्ते प्रार्थी/डिक्रीदार।

:: आदेश :: **दिनांक : 29.01.2024**

1. इस आदेश से एकल मध्यस्थ के द्वारा पारित पंचाट के निष्पादन हेतु पोषणीयता के संबंध में आदेश पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण में डिक्रीदार वित्तीय संस्थान के द्वारा निर्णीत ऋणी को दी गयी ऋण राशि की वसूली नहीं हो पाने के कारण उत्पन्न विवाद को एकल मध्यस्थ **श्री राहुल चौधरी** के समक्ष न्याय निर्णयन हेतु रेफर किया गया। इजराय आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 36 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम सपठित आदेश 21 नियम 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता तथा निष्पादन हेतु प्रस्तुत पंचाट संख्या- **ARB/83363649/2021 दिनांक 15.02.2022** का अवलोकन करने से यह स्वीकृत स्थिति है कि हस्तगत मामले में उपरोक्त एकल पंचाट की नियुक्ति निर्णीत ऋणी की अनुपस्थिति में तथा उसकी सहमति के बिना की गयी है।

3. Unilateral Arbitrator की ओर से जारी पंचाट की पोषणीयता तथा

वैधानिकता निर्णीत करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित निर्णय महत्वपूर्ण है :-

(A) 2004 AIR SCW 6496 Dharma Prathisthanam V/s M/s Madhak Construction Pvt. Ltd., Civil Appeal No. 7140/2004 {SLP (C) No. 7835/2003 dated 02-11-2004} (S.C.) के निर्णय में निर्णीत ऋणी को नोटिस दिये जाने के बावजूद एकल मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित नहीं आने के कारण, ऋणी पक्षकार की एकल मध्यस्थ हेतु नियुक्ति में सहमति की उपधारणा कर लेने का निम्न प्रकार से अवैधानिक बताया गया है।

(B) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय TRF Ltd. Vs Enegro Engineering Projects Ltd., Civil Appeal No. 5306/2017 {SLP (C) No. 22912/2016} dt. 03.07.2017 (S.C.) के अनुच्छेद सं. 34 में भी एक पक्ष के द्वारा एकल मध्यस्थ नियुक्ति किये जाने को अवैधानिक बताया गया है -

.....The aforesaid decision clearly lays down that it is not open to either of the parties to unilaterally appoint an arbitrator for resolution of the disputed in a situation that had arisen in the said case. Hon'ble Supreme Court also held that once the Arbitrator has become ineligible by operation of law, he cannot nominate another as an arbitrator. In **Perkins Eastman Architects DPC & Anr. Vs HSCC (India) Ltd. : (2020) 20 SCC 760,** the Supreme Court, following the earlier decision in TRF Ltd. (supra), held. that the Chirman-cum-Managing Director of a party was ineligible to appoint an arbitrator.

(C) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय KOTAK MAHINDRA BANK LTD. V/s NARENDRA KUMAR PRAJAPAT निर्णय दिनांक 12.12.2023 में जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.05.2023 की पुष्टि करते हुये वित्तीय संस्थान के द्वारा एक पक्षीय रूप से नियुक्त एकल मध्यस्थ को माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 12 (5) को प्रतिकूल मानते हुये एकल मध्यस्थ की एक पक्षीय नियुक्ति को विधि विरूद्ध माना तथा यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार का पंचाट शून्य होने के कारण धारा 36 के अंतर्गत निष्पादन योग्य नहीं है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस इजराय आवेदन-पत्र को न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय के द्वारा 25,000/- रूपये कॉस्ट पर खारिज करने के आदेश की पुष्टि की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोटक महिन्द्रा की SPL को एडमिशन के स्तर पर खारिज करते हुये कहा है कि 'From paragraph 6 of the impugned order, it appears to be an admitted position that the Arbitrator unilaterally appointed by the petitioner was ineligible to be appointed as an arbitrator by virtue of Section 12 (5) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

4. उपरोक्तानुसार डिक्रीदार के द्वारा प्रस्तुत यह इजराय आवेदन-पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

(सोहन शर्मा)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय, संख्या 01,
जोधपुर महानगर।

आदेश आज दिनांक 29.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोहन शर्मा)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय, संख्या 01,
जोधपुर महानगर।